न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (डीडवाना–कुचामन) राज.

पीठासीन अधिकारी :– गुलाब सिंह वर्मा, आर.ए.एस

वादीगण :–

बलवन्तसिंह उर्फ बसन्तीसिंह पुत्र हनुमानसिंह
जाति रावणा राजपूत निवासी गूलर तह परबतसर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. मंवरी देवी पत्नी लालाराम
   उर्फ लालसिंह
2. राजकुमार पुत्र लालाराम उर्फ
   लाल सिंह
3. दिलीपसिंह पुत्र लालाराम उर्फ
   लालसिंह निवासीयान रामेश्वर
   नगर बासनी जोधपुर
4. उम्मेदसिंह पुत्र हनुमानसिंह
   निवासी महेन्द्र फोटो स्टेट
   तहसील के पास सिवाणा, बाड़मेर
5. राजेन्द्रसिंह पुत्र गुलाबसिंह
   निवासी प्लॉट संख्या 264/2
   कुडी भक्तासनी बासनी जोधपुर
6. चन्द्रकान्ता पुत्री गुलाबसिंह
   निवासी सागरिया फाटा जोधपुर
7. तहसीलदार परबतसर

दावा बाबत :– घोषणा,बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
उपस्थित :– श्री अरूण कुमार माथुर वकील वादी

मुकदमा नम्बर :– 2018/00196

निर्णय दिनांक :– 07.08.2024

निर्णय

1. वादी की ओर से वकील श्री अरूण कुमार माथुर ने यह वाद पेश किया है कि ग्राम गूलर की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1180 रकबा 1.0000 हैक्टर व खसरा नम्बर 1665 रकबा 11.3700 हैक्टर के वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 4 से 6 खातेदार काश्तकार है। वादी एवम् प्रतिवादीगण स्वर्गीय हनुमान सिंह के वारिसान है। स्वर्गीय लालाराम उर्फ लालसिंह चन्द्रा के गोद चले जाने के कारण स्वर्गीय हनुमानसिंह के वारिस नहीं है। वादी का घर में बोलता नाम बसन्तीसिंह होने से राजस्व रिकार्ड में नाम बसन्तीसिंह अंकित कर दिया गया है जबकि उसके तमाम राजकीय रिकार्ड में नाम बलवन्तसिंह है वादी का स्कूल में नाम बलवन्तसिंह दर्ज होने के कारण ही वादी ने अपने इण्डियन एयरफॉर्स में समस्त सर्विस रिकार्ड में बलवन्तसिंह नाम दर्ज है इसके अतिरिक्त आधार काड, पेनकार्ड, सभी जगह बलवन्तसिंह ही दर्ज है भूलवंश राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम बसन्तीसिंह दर्ज कर दिया गया है । स्वर्गीय हनुमानसिंह के वादी के अतिरिक्त अन्य कोई बसन्तीसिंह नाम का कोई पुत्र नहीं है। वादी को राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम बलवनतसिंह के स्थान पर बसन्तीसिंह दर्ज होने की जानकारी वर्तमान में सेवानिवृत होने के पश्चात कृशि भूमि को विकसित करने के लिए खाते की नकल प्राप्त होने पर

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (डीडवाना-कुचामन)

हुई है वादी को अपनी कृषि भूमि को विकसित करने के लिय ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक के अधिकारियों से मिलने पर उनके द्वारा कृषि भूमि में खातेदारी इन्द्राज में दुरस्त कराने की सलाह दी इस कारण वादी द्वारा घोषणा का वाद पेश करना आवश्यक हो गया है। प्रतिवादी संख्या 01 के स्वर्गीय पिता एवम् पति लालसिंह जी अपने जीवन काल में चन्द्राराम के गोद चले गए तथा चन्द्राराम का स्वर्गवास होने पर चन्द्राराम की कृषि भूमि गुलाबसिंह उर्फ गुलाबाराम के नाम दर्ज कर दी गई। इस प्रकार लालाराम उर्फ लालसिंह के हक हिस्से में स्वर्गीय हनुमानसिंह की कृषि भूमि में कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं रहा परंतु राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से वादी व प्रतिवादी संख्या 04 से 06 के साथ चला आ रहा है जबकि प्रतिवादी संख्या 01 से 03 विवादग्रस्त कृषि भूमि में काबिज काश्तकार नहीं है। साथ ही स्वर्गीय लालाराम उर्फ लालसिंह गोद चले जाने के पश्चात चन्द्राराम की कृषि भूमि में उनकी खातेदारी निहित हो गई तथा उसी अनुवान उनका नाम स्वर्गीय चन्द्राराम के वारिसान में दर्ज चला आ रहा है। खसरा नम्बर 165 के वर्तमान सेटलमेन्ट से पूर्व 578 रकबा 70 बीघा 05 बिस्वा उक्त कृषि भूमि स्वर्गीय हनुमानसिंह जी के कब्जे काश्त खातेदारी की थी उक्त भूमि में कभी भी मन्दिर की डोली नही रहीं । परन्तु वर्तमान नकल खतौनी में उक्त भूमि की खातेदारी डोली बनाम मन्दिर अंकित कर दिया गया। वादी अपनी कृषि भूमि विकसित करना चाहता है वर्तमान में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 04 से 06 संयुक्त रूप से काश्त करते आये है प्रतिवादी संख्या 04 से 06 कृषि भूमि विकसित करने में किसी प्रकार का सहयोग नही कर रहे है इस कारण वादी अपने हिस्से को विकसित करने के लिए बंटवारा करवाया जाना आवश्यक हो गया है। बगैर बंटवारा वादी न तो अपने हिस्से में किसी प्रकार का निर्माण कर सकता है न ही विकसित । वादी ने वाद पेश कर उक्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड बंटवारा किया जाकर राजस्व रिकार्ड अलग–अलग कायम किये जाने की इस्तदुआ की है।

2. दावा वकील वादी पेश हाने पर दर्ज रजिस्ट्र किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई तो प्रतिवादी संख्या 1,2 और 3 की ओर से दिनांक 06.08.2019 को अधिवक्ता श्री मनफूल भादू द्वारा अंडरटेकिंग दी गई। प्रविादी संख्या 04 से 06 के सम्मन रजिस्ट्र तामिल होने पर भी कोई हाजिर नहीं हुआ एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 द्वारा 06.08.2019 से लेकर दिनांक 03.08.2022 तक जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बन्द किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 07 सरकार को पत्र संख्या 724 दिनांक 22.08.2023 को जवाब हेतु लिखा जाने पर तहसीलदार परबतसर द्वारा पत्र क्रमांक 1583 दिनांक 25.08.2023 के द्वारा जवाब भिजवाया गया । जिसमें वाद के पैरा न. 1 आंसिक स्वीकार्य है क्योंकी खातेदारी वादी एवं प्रविादी संख्या 04 से 06 नहीं होकर वर्तमान में वादी के साथ गुलाबसिंह, उम्मेदसिंह, लालसिंह है व वाद के पैरा न. 03 जमाबंदी में वादी का नाम बसन्तीसिंह दर्ज है परंतु मजमेआम जानकारी करने पर वादी का बौलता नाम बसन्तीसिंह ही था जबकी बसन्तीसिंह व बलवन्तसिंह दोनों एक ही व्यक्ति है अतः पेरा स्वीकार्य है। पैरा संख्या 02 से 07 क्षेत्राधिकार का नहीं है। पैरा संख्या 08 स्वीकार कर ग्राम गूलर के वर्तमान खसरा नम्बर 1180 पूराना खसरा नम्बर 526 की भूमि मंदिर भूमि के नाम नहीं रही है। इसी प्रकार वर्तमान खसरा नम्बर 1265 का पूराना खसरा नम्बर 578 भी कभी भी मंदिर माफी के नाम भूमि नहीं रही है। अतः पैरा स्वीकार है। इस प्रकार जवाब सरकार आने पर साक्ष्य वादी प्रदश 1 बलवन्त सिंह, प्रदश 2 रणजीत वैष्णव, प्रदश 3 जिमना देवी, प्रदश 4 शिवराज प्रजापत के शपथ–पत्र पेश किए जो संलग्न पत्रावली है। साक्ष्य

उपखण्ड अधिकारी

वादी वकील द्वारा आगे साक्ष्य नहीं करवाया जाने पर साक्ष्य बन्द किया जाकर बहस में लगया जाकर बहस दावा वकील वादी की एक पक्षीय सुनी गई।

वकील वादी की दौराने बहस वादी वकील ने दावे का समर्थन करते हुए मुताबिक दस्तावेज वादी का नाम दुरस्त करने एवं दावा स्वीकार किया जाना जाहिर किया है।

दावे के समर्थन में प्रदश 1 जमाबंदी ग्राम गूलर की, प्रदश 2 जमाबंदी ग्राम गूलर की, प्रदश 3 जमाबंदी ग्राम गूलर की (सम्वत 2023–2033), प्रदश जमाबंदी ग्राम गूलर, प्रदश 5 जमाबंदी गूलर सम्वत 2061, प्रदश 6 नामान्तरण की संख्या 168, प्रदश 7ए रिटायर्ड ऑफीसर आईडेन्टी कार्ड, प्रदश 8ए आधार कार्ड बलवन्त सिंह, प्रदश 9 पैन कार्ड, प्रदश 10 मिस्सल बन्दोबस्त सम्वत 2008, जमाबंदी सम्वत 2010–13, जमाबंदी 2033–36, जमाबंदी 2030 –33, जमाबंदी 2037 –40, प्रमाण–पत्र सरपंच ग्राम पंचायत गूलर दिनांक 22.12.2023 के दस्तावेज बतौर सबूत पेश किए है।

3.

हमने वकील वादी बहस पर मनन किया एवं प्रस्तुत दावा व दस्तावेजों का पर्यवेक्षण किया तो वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादीगण हनुमानसिंह के वारीसान लालाराम उर्फ लालसिंह, चन्द्रा के गोद चले गए जो जमाबंदी ग्राम गूलर के सम्वत 2058–61 के खाता संख्या 391 में नोट अंकित है कि नामान्तरण संख्या 1261 के जरिये लालाराम के फोत होने से उसके स्थान पर प्रतिवादी संख्या 01 से 03 भंवरी देवी बेवा लालाराम, राजकूमारसिंह, दिलीपसिंह पि. लालाराम के नामान्तरण खोला गया। इस प्रकार लालाराम के वारीसान चन्द्रा के गोद जाने पर लालाराम के हक हिस्से में स्व. हनुमान सिंह की भूमि में कोई हक व हिस्सा अधिकारी नहीं रहा। नहीं प्रतिवादी संख्या 01 से03 हनुमान सिंह द्वारा छोड़ी गई भूमि पर कोई कब्जाकाश्त नहीं रहा। इस प्रकार प्रतिवाद संख्या 01 से 3 का चन्द्रा राम के गोद चले जाने से उनके समस्त हक अधिकार स्वर्गीय हनुमान सिंह की सम्पति में समाप्त हो चुके है। तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 04 से 06 में नियत हो चुके है।

वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में बौलता नाम बसन्ती सिंह होने से राजस्व रिकॉर्ड में बसन्तीसिंह ही अंकित कर दिया गया। जबकी वादी इंडियन एयरफॉर्स में एव समस्त सर्विस रिकार्ड (आधार–कार्ड,पैन–कार्ड, आईडी–कार्ड) में बलवन्तसिंह दर्ज है एवं तहसीलदार द्वारा भी वादी का नाम बसन्तीसिंह बजाय बलवन्तसिंह किए जाने में कोई प्रकार आपत्ति नहीं की। बसन्तीसिंह व बलवन्तसिंह दोनों नाम के एक व्यक्ति है तथा सरपंच प्रमाण–पत्र में भी यहीं नाम अंकित है। इस प्रकार जवाब सरकार उसका दुरस्त किया जाना उचित समझते है।

खसरा नम्बर 1265 के वर्तमान सेटलमेंट से पूर्व खसरा नम्बर 578 रकबा 70 बीघा 5 बीस्वा उक्त कृषि भूमि कब्जेकास्त स्व. हनुमान सिंह की कब्जेकास्त खातेदारी थी। उक्त भूमि कभी भी मंदिर की डोली नहीं रही है। जमाबंदी प्रदश 3 ग्राम गूलर सम्वत 2030–33, प्रदश 4 जमाबंदी में एवं नकल नामान्तरण प्रदश 6 में उक्त भूमि की खातेदारी डोली बनाम मंदिर अंकित नहीं है, जबकी मंदिर के नाम अंकित कर दी गई है। खसरा नम्बर 1180 भी मंदिर की नहीं रही फिर भी डोली बनाम मंदिर अंकित कर दी गई।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी

जवाब सरकार में भी ग्राम गूलर के वर्तमान खसरा नम्बर 1180 पूराना खसरा नम्बर 526 की भूमि मंदिर भूमि के नाम नहीं रहीं। इसी प्रकार खसरा नम्बर 1265 का पूराना खसरा नम्बर 578 भी कभी मंदिर माफी के नाम भूमि नहीं रही। जो प्रदश 3, प्रदश 4 जमाबंदी में भी भली प्रकार से साबित है। इस प्रकार मुताबिक जमाबंदी एवं तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार जो मंदिर माफी के नाम गलत इन्द्राज हो गया उसे हटाया जाना उचित समझते है।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन अनुसार दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाना उचित समझते है। अतः दावा वादी डिक्री किया जाकर ग्राम गूलर की भूमि खसरा नम्बर 1180 रकबा 1.0000 है व खसरा नम्बर 1265 रकबा 11.3700 है, में से डोली बनाम मंदिर का नाम हटाया जाने के आदेश दिए जाते है एवं इसी के साथ प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजफ किये जाने के आदेश दिए जाते है एवं वादी बसन्तीसिंह के स्थान पर बलवन्तसिंह शुद्ध करने के आदेश दिए जाते है। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखील दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 07.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गुलाब सिंह वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (डीडवाना-कुचामन)